विक्रेता को नुकसान न हो।

महानगर के मुख्य पांच छह अस्पतालों में तीन

किया है।

रेहड़ी-फड़ी वालों को जगह देने की कवायद

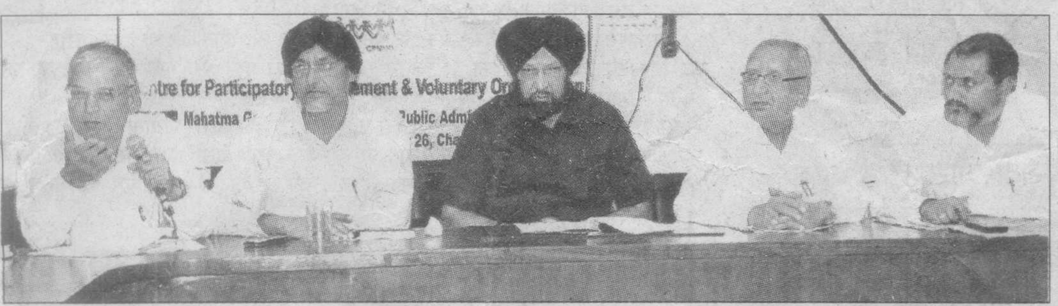

सर्किट हाउस में रेहड़ी फड़ी वालों को जगह अलाट करने संबंधी आयोजित बैठक के दौरान महात्मा गांधी पब्लिक एंड मिनस्ट्रेशन के एसीएम भंडारी, मेयर हाकम सिंह ग्यासपुरा, मुख्य संसदीय सचिव हरीश राय ढांडा, डिप्टी स्पीकर सतपाल गोसाईं व सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण बांसल।

- **30 जून, 2011 तक प्रदेश भर के रेहड़ी-फड़ी वालों को दी जानी है जगह**
- **दस दिनों में अपने सुझाव देंगे निगम अधिकारी व जनप्रतिनिधि**

जागरण संवाददाता, लुधियाना : शहरों में सड़कों के किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों के दिन फिरेंगे, उन्हें निगम के अधिकारी परेशान नहीं कर सकेंगे। यही नहीं रेहड़ी-फड़ियां ट्रैफिक में बाधा भी नहीं बनेंगी। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश भर में रेहड़ी-फड़ी वालों को 30 जून 2011 तक जगह उपलब्ध करवाई जानी है। इससे महानगर में 15 से 20 हजार रेहड़ी वालों को फायदा होगा। इसका फायदा यह भी है कि निश्चित जगह मिल जाने से शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकेगी।

महात्मा गांधी इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए निश्चित जगह उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट को लेकर शुक्रवार को जन प्रतिनिधियों व निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक महात्मा गांधी इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एसीएम भंडारी के नेतृत्व में सर्किट हाउस में हुई।

भंडारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा है। जिसके तहत कहा गया है कि रेहड़ी-फड़ी वालों को शहर में कोई निश्चित स्थान देना है। वह स्थान निश्चित करने हैं, जहां वे जा सकते हैं और जहां वे नहीं जा सकते हैं। पहले रेहड़ी-फड़ी वालों की पहचान होनी है। उन्हें लाइसेंस जारी किए जाने हैं, वेंडरिंग कमेटी का गठन होना है। यह कमेटी रेहड़ी-फड़ी वालों के हितों की रक्षा भी करेगी। सुप्रीम के आदेशों के मुताबिक रेहड़ी-फड़ी वाले भी देश के नागरिक हैं और उन्हें भी व्यापार करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए सभी राज्यों को कानून बनाने हैं, इससे पहले सभी शहरों की म्यूनिसिपल कमेटियों व जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निगम अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को इस ड्राफ्ट के बाबत जानकारी नहीं थी। इससे फैसला यही हुआ कि सभी को ड्राफ्ट की कापी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसे निगम सदन में पास करवा कर सरकार के पास भेजा जाएगा। दस दिनों बाद फिर इंस्टीच्यूट द्वारा बैठक का आयोजन किया जाएगा।

बैठक में मेयर हाकम सिंह ग्यासपुरा, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सतपाल गोसाईं, मुख्य संसदीय सचिव हरीश राय ढांडा, ज्वाइंट कमिश्नर बीके गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण बंसल, पार्षद हेमराज अग्रवाल, भारत भूषण आशू समेत अन्य पार्षद व अधिकारी मौजूद थे।